

**संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण**  
सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, रायपुर, छ.ग.  
**दूरभाष— 0771-2262177, Email- dir-sportsyw.cg@gov.in**

---

क्रमांक / स्था. 229 / 2024-25 / 1042  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 02/08/2024

संचालक,  
जनसंपर्क (विज्ञापन शाखा)  
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

विषय :— प्रशिक्षक (कोच) के पद पर संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने बाबत।

—00—

विषयांतर्गत, संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मैदानी कार्यालयों एवं खेल अकादमियों के लिए संविदा आधार पर प्रशिक्षक (कोच) की भर्ती हेतु विभिन्न खेलों के लिए निर्धारित प्रपत्रानुसार विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है।

कृपया विज्ञापन का प्रकाशन प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित समाचार पत्रों में एक ही तिथि में प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे, विस्तृत जानकारी संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण रायपुर के विभागीय वेबसाईट [www.sportsyw.cg.gov.in](http://www.sportsyw.cg.gov.in) या संचालनालय की नोटिस बोर्ड पर देखी या डाउनलोड की जा सकती है।

संलग्न — उपरोक्तानुसार।  
(संचालक महो. द्वारा अनुमोदित)

  
संयुक्त संचालक  
खेल एवं युवा कल्याण  
छत्तीसगढ़, रायपुर  
रायपुर, दिनांक 02/08/2024

पृ. क्रमांक / स्था. 229 / 2024-25 / 1042/A  
प्रतिलिपि:-

सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

  
संयुक्त संचालक  
खेल एवं युवा कल्याण  
छत्तीसगढ़, रायपुर

## संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण

सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, रायपुर, छ.ग.

दूरभाष- 0771-2262177, Email- dir-sportsyw.cg@gov.in

क्रमांक / स्थापना / खुलूक / 2024-25/

रायपुर, दिनांक / / 2024

### // संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन //

छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ-1-6/2019/नो दिनांक 08.10.2021 के निर्देश एवं प्रावधान के परिपालन में संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधीनस्थ प्रशिक्षक (कोच) के रिक्त गृहीय श्रेणी के पदों पर संविदा भर्ती नियम 2012 के तहत 01 वर्ष के लिए, संविदा भर्ती की जानी है। जिसके लिए छ.ग. के स्थानीय निवासी पात्र अस्थर्थियों से आवेदन दिनांक 16.08.2024 तक सायं 5.00 बजे तक संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण रायपुर में स्वीकार किये जायेंगे। जिसमें नीचे दर्शित पदों की संविदा आधार पर नियुक्ति नियम प्रक्रिया एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना है। रिक्त पद का वर्गावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पद का नाम	खेलविधा		संविदा भर्ती हेतु		संविदा भर्ती के रिक्त पद		वेतनमान	श्रेणी	न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा	विवित शैक्षणिक अर्हताएँ
		मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला				
1	प्रशिक्षक (कोच) संविदा	एथलेटिक्स (रनिंग, जमिंग)	2	0	0	1	0	0	0	संविदा भर्ती हेतु	आयु सीमा 01.01.2024 तक वेतन- 26490 (छव्वीस हजार चार सौ नव्वे रुपये मात्र)
2		टेनिस	2	1	0	0	1	0	0	वेतन- 26490 (छव्वीस हजार चार सौ नव्वे रुपये मात्र)	आयु सीमा 01.01.2024 तक वर्ष एवं आयु सीमा के संबंध में विभागीय नियम एवं इस संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
3		फुटबॉल	5	1	1	0	0	2	0	वर्ष एवं आयु सीमा के संबंध में विभागीय नियम एवं इस संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।	आयु सीमा 01.01.2024 तक वर्ष एवं आयु सीमा के संबंध में विभागीय नियम एवं इस संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
4		बैडमिंटन	1	1	0	0	0	0	0		
5		आर्यरी	4	1	0	1	0	2	0		
6		होकी	5	2	0	1	0	1	0		
7		कॅबड्डी (महिला 01, पुरुष 01)	2	0	1	0	0	1	0		
8		क्रॉलीबॉल	1	1	0	0	0	0	0		
9		वेटलिफ्टिंग	1	1	0	0	0	0	0		
10		कर्याक्रिया-कोइंग	1	1	0	0	0	0	0		
11		मलखब	1	1	0	0	0	0	0		
12		कुश्ती	1	1	0	0	0	0	0		
गोा :-			26	11	02	03	0	08	01	01	0

टीप:- उपरोक्त भर्ती के संबंधित विस्तृत जानकारी संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग के विभागीय वेबसाईट sportsw.cg.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है। (संचालक महो. द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक  
खेल एवं युवा कल्याण

छत्तीसगढ़ रायपुर

### सामान्य नियम एवं शर्तेः—

1. उक्त नियुक्ति छ.ग. संविदा भर्ती नियम 2012 के अध्याधीन रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन के भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है या निर्देश जारी किया जाता है तो उक्त भर्ती के लागू होगा।
2. छ.ग. राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करें।
3. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2024 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में समय—समय पर जारी छूट अनुसार छूट दिया जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित वर्ग एवं स्थानीय निवासी महिलाओं हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट संबंधित समय समय पर जारी निर्देश लागू होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं हेतु समस्त छुट को सम्मिलित करते हुए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दस्तावेज सत्यापन के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को जाति के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
6. उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापन हेतु हाई स्कूल प्रमाण की (10वीं अंकसूची की स्वप्रमाणित) छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
7. अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्टि स्थान पर स्वयं का पासपोर्ट आकार के फोटो चिपकायें। आवेदन पत्र में निर्दिष्टि स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अनिवार्य है।
8. उम्मीदवार के द्वारा आवेदित पद का नाम, वर्ग स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में दर्शाना अनिवार्य होगा।
9. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जावेगा एवं उम्मीदवार को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि विज्ञापन में निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जावेगा।
10. उम्मीदवार का राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था पटियाला से प्रशिक्षण का डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष डिप्लोमा अनिवार्य अर्हता होगी।
11. उम्मीदवार का चयन राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था पटियाला से प्रशिक्षण का डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष डिप्लोमा, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन—MPED, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन BPED, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में प्राप्त पुरस्कार (पदमश्री, पदमभूषण, पदमविभूषण, अर्जुन आवार्ड, खेल रत्न एवं राज्य सरकार द्वारा वीर हनुमान सिंह पुरस्कार (प्रशिक्षक), शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गणडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान। एक या एक से अधिक पुरस्कार/सम्मान प्राप्त उम्मीदवारों को एक की गणना की जावेगी) के आधार पर संयुक्त मेरिट सूची तैयार करते हुए साक्षात्कार के लिए चयन किया जायेगा।

क्रमसंख्या: 03.....

12. प्राविण्यता क्रम अनुसार उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के लिए अधिकतम 1:5 अनुसार किया जावेगा।
  13. खेल अकादमी के तीरंदाजी प्रशिक्षक को खेल संघों द्वारा आयोजित सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में रिकर्व विद्या प्रतियोगिता में भाग लेना अनिवार्य होगा।
  14. चयन के संबंध में चयन समिति द्वारा अनुशंसा किया जायेगा एवं संचालक खेल एवं युवा कल्याण का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
  15. भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद अथवा समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार विभागाध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेंगे।
  16. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
  17. प्रतिक्षा सूची नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
  18. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 16.08.2024 शाम 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक के माध्यम से संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण में स्वीकार किये जायेंगे। आवेदक आवेदन को पूर्ण भरकर, हस्ताक्षर कर एवं संलग्न होने वाले समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न कर आवेदन किया जाना है। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।
  19. समस्त प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने के अंतिम तिथि को जीवित होना अनिवार्य होगा।
  20. उक्त संविदा भर्ती प्रथम 01 वर्ष के लिए होगी। जिसकी वार्षिक समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद, परिणाम मूलक नहीं होने पर 30 दिवस की पूर्व सूचना द्वारा संविदा भर्ती समाप्त की जा सकती है। कर्मचारी द्वारा अत्यधिक अनुचित व्यवहार पाये जाने पर संविदा नियुक्ति बिना कारण बतायें तत्काल समाप्त की जा सकती है।
  21. यह भर्ती पूर्णतः संविदा है। इस भर्ती के आधार पर कर्मचारी भविष्य में नियमित पद में नियुक्ति नहीं किया जाएगा।
- (संचालक महो. द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक  
खेल एवं युवा कल्याण  
छत्तीसगढ़ रायपुर